न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–01, श्रीगंगानगर।

तारीख हुक्म	**इजराय दीवानी प्रकरण संख्या 129/2020** **सीआईएस प्रकरण संख्या 133/2020** **CNR NUMBER RJSG010008262020** **भगवानदास बनाम फर्म पवन एंड संस**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2025	डिक्रीदार एवं मदन की ओर से विद्वान अधिवक्तगण उपस्थित। दोनो पक्षों की बहस इजराय पूर्व में पिछली तारीख पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । डिक्रीदार की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि हस्तगत इजराय में डिक्रीदार का दावा डिक्री हुआ था । उसके पश्चात डिक्रीदार ने इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा दिनांक 19.11.2022 को डिक्रीदार भगवानदास बंसल की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कुल 75,97,910 रूपये (अखरे पिच्चहत्तर लाख सत्तानवे हजार नौ सो दस रूपये) जमाशुदा राशि जो नीलामी से सम्पत्ति की नीलामी से प्राप्त हुई थी उसमें से डिक्रीदार को दावा के अनुसार दिलवायी जावे। जिस पर दिनांक 22.11.2022 को मदयून की ओर से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश एस 0 बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 17268/2022 पेश किया तथा प्रकरण में स्टे होने की जानकारी दी तो दिनांक 22.11.2022 को उक्त इजराय की कार्यवाही रोक दी गयी थी। उसके पश्चात डिक्रीदार ने दिनांक 22.05.2025 को पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय उच्च न्यायालय के उक्त एस 0 बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 17268/2022 का आदेश पेश किया तथा यह तर्क दिया कि जो पूर्व में स्टे आर्डर था, उसका माननीय उच्च न्यायालय ने रिकाल्ड कर लिया है तथा अभी वह स्टे आर्डर नहीं है इसलिए डिक्रीदार को उक्त राशि दिलवाए जाने का आदेश प्रदान करें तथा यह भी तर्क दिया कि मदयून के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो तर्क दिया गया है कि उक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.2025 पर रिव्यू पिटीशन लगाई हुई है तथा इस न्यायालय में भी उक्त आदेश 21 नियम 90 के प्रार्थना पत्र में भी रिव्यू लगाई हुई है जिसकी डेट जनवरी 2026 में है इसलिए उक्त आदेश को रोकने का आदेश किया था , उस पर डिक्रीदार की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन में कोई स्टे का आदेश नहीं है, फिर भी माननीय उच्च न्यायालय से डिक्रीदार के विरूद्ध कोई आदेश आता है तो डिक्रीदार प्राप्त की गयी राशि को वापिस ब्याज सहित जमा करवा देगा, लेकिन इस स्टेज पर कोई स्टे आर्डर नहीं है, इसलिए राशि प्रदान करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया । मदयून के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के एस 0 बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 17268/2022 में जो स्टे आर्डर रिकाल्ड का दिनांक 20.05.2025 द्वारा दिया हुआ है, उस पर माननीय उच्च न्यायालय में मदयून ने रिव्यू पिटीशन पेश की हुई है तथा इस न्यायालय में भी आदेश 21 नियम 90 सीपीसी पर भी रिव्यू याचिका पेश की हुई है जिसका निस्तारण नहीं हुआ है इसलिए उक्त आदेश पारित नहीं किया जावे तथा इस न्यायालय में जो रिव्यू पिटीशन है, उसमें तारीख पेशी जनवरी, 2026 में है इसलिए तब तक उक्त आदेश पारित नहीं किया जावे। इसलिए डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जाने का निवेदन किया ।	

दोनो पक्षों के तर्को को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

डिक्रीदार की ओर से जो इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह दिनांक 04.12.2019 को फर्म भगवानदास बनाम फर्म फर्म पवन एंड संस वगैरा का दावा डिक्री हुआ था , उस आधार पर डिक्रीदार ने न्यायालय के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया तथा निवेदन किया कि जो सम्पत्ति थी , उसकी नीलामी हो चुकी है तथा उसकी राशि भी जमा हो चुकी है उसमें से 75,97,910/– रूपये ऋणी के रूप में प्राप्त करनी है इसलिए उक्त राशि का आदेश पारित करने की कृपा करे, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2022 की आदेशिका के अनुसार तथाकथित सम्पत्ति विक्रय होकर अंतिम बोली लगायी जाकर 03 करोड 51 लाख रूपये की राशि जमा हो चुकी है तथा न्यायालय द्वारा सेल सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश किया गया तथा मदयून से 75,97,910 रूपये ऋणी के ऋण के रूप में प्राप्त करने का जो निवेदन डिक्रीदार द्वारा किया गया था , उसमें आदेश के लिए 22.11.2022 को पेश होने के लिए तारीख पेशी दी गयी। इसके पश्चात दिनांक 22.11.2022 को उक्त पत्रावली पेशी में आने पर मदयून की ओर से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के एस 0 बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 17268/2022 को पेश करते हुए केस के स्टेटस को पेश किया गया है इसलिए न्यायालय द्वारा उक्त इजराय में कोई आदेश नहीं दिया गया है तथा इंतजार आदेश में पत्रावली को रखा गया था ।

इसके पश्चात डिक्रीदार भगवानदास की ओर से दिनांक 22.05.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पूर्व में जो एस 0 बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 17268/2022 में जो स्थगन आदेश दिया गया था , वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट पिटीशन में स्टे आर्डर को continue नहीं रखा गया है व रिकाल्ड कर दिया गया है इसलिए उक्त राशि डिक्रीदार को दिलवाये जाने का निवेदन किया । उक्त एस 0 बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 17268/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2025 का आदरपूर्वक अवलोकन करने से माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि –

"Since, no plusible reason is there for continuation of the stay order, the same stands recalled"

अर्थात माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.05.2025 और पूर्व में जो स्थगन आदेश उक्त एस 0 बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 17268/2022 में पारित किया गया था, उसको continue नहीं रखते हुए रिकाल्ड का आदेश पारित कर दिया गया है इसलिए इस स्टेज पर उक्त इजराय की पालना सुनिश्चित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक मदयून के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो तर्क दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.05.2025 पर रिव्यू पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में पेश की हुई है लेकिन कोई स्थगन आदेश न्यायालय के समक्ष मदयून की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए मदयून के निवेदन पर हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र में आगे की कार्यवाही रोके जाने का कोई कारण न्यायोचित प्रतीत नहीं होता

है।

जहां तक मदयून की ओर से एक तर्क यह भी दिया गया था कि जो आदेश पूर्व में आदेश 21 नियम 90 सीपीसी के अन्तर्गत दिनांक 04.11.2022 को न्यायालय द्वारा पारित किया गया था , उसकी रिव्यू भी अभी विचाराधीन है इसलिए इजराय की कार्यवाही स्थगित की जावे, लेकिन इस तर्क से भी हम सहमत नहीं है क्योंकि प्रथमतः सीपीसी के आदेश 21 नियम 90 का जो प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2022 को आदेश पारित किया गया था उस पर मदयून द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस 0 बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 17268/2022 पेश की जा चुकी है तथा उक्त रिट पिटीशन में कोई स्थगन आदेश नहीं है तथा इस न्यायालय में जो इस आदेश के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन है, उसके विरूद्ध जो माननीय उच्च न्यायालय में चाराजोही की जा चुकी है तथा रिव्यू पिटीशन में इस स्टेज पर सुने जाने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है तथा केवलमात्र इस आधार पर इस न्यायालय द्वारा इजराय की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता ।

जहां तक माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन मदयून के द्वारा पेश की गयी है, उस पर जो डिक्रीदार की ओर से जो तर्क दिया गया कि यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई डिक्रीदार के विरूद्ध निर्णय पारित किया जाता है तो डिक्रीदार प्राप्त राशि मय ब्याज के वापिस जमा करवा देगा, इसलिए भी उक्त इजराय प्रार्थना पत्र में आगे की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा डिक्रीदार की ओर से जो राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन/इजराय पेश की है, उसमें जमा राशि 75,97,910/– डिक्रीदार नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए डिक्रीदार को हस्तगत इजराय में कुल जमा राशि में से 75,97,910/– नियमानुसार अदा करने का आदेश पारित किया जाता है।

जहां तक डिक्रीदार की ओर से जो तर्क दिया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश यदि उसके विरूद्ध आता है तो वह उक्त राशि ब्याज सहित जमा करवा देगा , इस पर यह निर्देश दिया जाता है कि डिक्रीदार भगवानदास बंसल स्वयं का एक शपथ पत्र तस्दीकशुदा राशि प्राप्त करने के समय प्रस्तुत करेगा जिसमें वह अपना मोबाइल नंबर व बैंक की डिटेल जिसमें पैसा जमा होगा तथा पैन कार्ड के नंबर आदि पेश करके यह लिखत करेगा कि यदि इस संबंध में उसके विरूद्ध आदेश पारित होता है तो वह उक्त राशि को मय ब्याज वापिस जमा करवा देगा। उक्त आशय का शपथ पत्र पेश होने के पश्चात नियमानुसार जमा कुल राशि में से 75,97,910(पिच्चहत्तर लाख सत्तान्नवे हजार नौ सो दस रूपये) डिक्रीदार को अदा किये जावें। इस बाबत लेखा शाखा को तहरीर जारी हो।

आदेश सुनाया गया ।

पत्रावली वास्ते देखने पालना आदेश दिनांक 15.11.2025 को पेश हो।